



प्रेस नोट थाना तिलहर



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 30.09.2026

- थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा फरार 10000 रुपये के इनामियाँ अपराधी को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानंद निवासी ग्राम शाहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित द्वारा ₹10,000/- का इनाम घोषित किया गया था।
- थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 430/2026 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित ₹10,000/- के इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानंद, निवासी ग्राम शाहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदय के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के कुशल नेतृत्व में जनपद शाहजहाँपुर में वांछित/इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.09.2026 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी सूचना संकलन एवं सतत निगरानी के आधार पर ₹10,000/- के इनामिया शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण—

दिनांक 13.08.2026 को वादी श्री सोनपाल पुत्र केदार निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना तिलहर पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर उनके भाई सुरेन्द्र पुत्र केदार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा लाठी-डंडों एवं बंके से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 430/2026, धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त 1. सुखदेव पुत्र हरिश्चन्द्र, 2. वसुदेव पुत्र हरिश्चन्द्र एवं 3. गोविन्द पुत्र मेहरबान, निवासीगण ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 16.08.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त 4. अमित पुत्र रामऔतार एवं 5. दिलीप पुत्र रामऔतार, निवासीगण ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 26.08.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त 6. वी0पी0 पुत्र नन्दराम, निवासी ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 20.09.2026 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त सतीश पुत्र गंगाराम, निवासी

ग्राम सहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के संबंध में विवेचना प्रचलित है। उक्त अभियोग में शेष वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र प्रधान उर्फ सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानन्द, निवासी ग्राम शाहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष, की गिरफ्तारी हेतु थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रभावी सूचना संकलन एवं तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 29.09.2026 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी सूचना संकलन एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ₹10,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानन्द निवासी ग्राम शाहवेगपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष को सुभाष नगर रिंग रोड स्थित गर्ग पुल के पास से समय करीब 17:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा उसके बताए स्थान पर पहुँचकर समय करीब 17:40 बजे आला कत्ल लाठी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

सुरेन्द्र पुत्र ब्रह्मानन्द निवासी ग्राम शाहवेगपुर थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 430/26 धारा 191(2)/191(3)/352/351(3)/103(1)/3(5) बीएनएस थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 441/2018, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 271/2021, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 314/2023, धारा 279/304ए भादवि, थाना अल्हागंज, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी (आला कत्ल) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाष चन्द्र, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 हिमांशु जयन्त, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 विनय कुमार, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 धर्मेन्द्र, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

